[2021] 1 एस. सी. आर. 799

सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन

बौद्धिक संपदा (भारत समूह)

वी.

भारत का संघ

(2020 का विविध आवेदन No.2219)

में।

(डब्ल्यू. पी. (ग) 2019 का No.1431)

12 फरवरी, 2021

[एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता

और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 - s.89A-वित्त अधिनियम, 2017 - s.184 वर्तमान अध्यक्ष की निरंतरता-के लिए आवेदन -

आवेदक ने पदधारी को जारी रखने के लिए निर्देश मांगे

बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आई. पी. ए. बी.) के अध्यक्ष, जब तक कि एक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाता है-यह आग्रह किया गया था कि 89 ए डाला गया

टी. एम. अधिनियम में निर्धारित किया गया है कि वित्त अधिनियम, 2017 के प्रारंभ के बाद, बोर्ड में नियुक्तियों का कार्यकाल एस के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। 184 - एस के संदर्भ में। 184 2017 के अधिनियम के अनुसार, बाहरी सीमा ने बोर्ड के अध्यक्ष की आयु सीमा को 70 वर्ष के रूप में निर्धारित किया-आवेदक ने भी एस पर भरोसा किया। 84 (2) टी. एम. अधिनियम और आग्रह किया कि न्यायिक सदस्य के बिना कोई पीठ नहीं हो सकती-आयोजितः आई. डी. 1 पर, वर्तमान पदधारी को आई. पी. ए. बी. में अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, यानी बोर्ड, तत्कालीन 2017 नियमों के संदर्भ में, तीन साल की अवधि के लिए-हालांकि, बाद में इसे केंद्र सरकार द्वारा आई. डी. 2 तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया था-रोजर मैथ्यू में निर्णय को आई. पी. ए. बी. में अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

13.11.2019 और इसने 2017 के नियमों को रद्द कर दिया-रोजर मैथ्यू में बहुमत के फैसले द्वारा निर्देशित अंतरिम व्यवस्था के संदर्भ में,

विधेयक, 2017. ", एस के माध्यम से लाए गए संशोधन। 184 , अधिकतम आयु के संदर्भ में जिस तक कोई भी सदस्य या अध्यक्ष कर सकता है बोर्ड के मामले में न्यायाधिकरण में पद धारण करना लागू नहीं हो सकता था-2017 के नियमों ने अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल की सीमा निर्धारित की थी-2017 के उन नियमों के संदर्भ में वर्तमान का कार्यकाल

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पदधारी 21.09.2019 पर समाप्त हुआ-जैसा कि नियमों को बाद में लागू किया गया था उस समय कुद्रत संधू में प्रचलित अंतरिम आदेशों और स्पष्टीकरणों में कहा गया था कि ऐसे सदस्यों या अध्यक्षों का अधिकतम कार्यकाल वित्त अधिनियम, 2017 के लागू होने से पहले मूल अधिनियमों में निर्धारित किया जाएगा, या अध्यक्षों के मामले में अधिकतम 3 साल के लिए व्यक्त किया गया था-अवधि समाप्त हो गई थी, जहां तक आवेदक का संबंध है, <ID2 पर-जहां तक यह प्रस्तुत करने का संबंध है कि न्यायिक सदस्य के बिना कोई पीठ नहीं हो सकती है, s। 85 टी. एम. अधिनियम से पता चलता है कि तकनीकी सदस्य को नियमित अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि वह कम से कम दो साल तक उपाध्यक्ष का पद संभालता हो-तत्काल मामले में, सभी पांच तकनीकी सदस्य कानूनी रूप से वैध हैं।

योग्यता इन सदस्यों के पास व्यावहारिक कानूनी अनुभव है

दस से पंद्रह वर्ष-इसलिए, यह तर्क कि तकनीकी सदस्य, अभी तक बोर्ड में अपनी स्थिति में, अध्यक्ष के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं, अस्थिर है।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. बोर्ड के अध्यक्ष के पद के वर्तमान पदाधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ज़ब्त की गई संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीएफपी)। 26.07.2017 पर, उन्हें अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था

आई. पी. ए. बी., अर्थात बोर्ड, तत्कालीन मौजूदा 2017 नियमों के संदर्भ में, तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के आदेश को केंद्र सरकार द्वारा 29.12.2017 पर संशोधित किया गया था। इस बाद के आदेश में कहा गया कि बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति का कार्यकाल 21.09.2019 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक था। [पैरा 17 और 18] [812-बी-सी; 813-ए-बी] 2. आवेदक की ओर से तर्क दिए गए कि निवर्तमान अध्यक्ष पद पर बने रहे

रोजर मैथ्यू द्वारा की गई कानून की घोषणा अवास्तविक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तर्क को स्वीकार नहीं करने का दूसरा कारण यह है कि यदि, एक पल के लिए यह माना जाना था कि बहुमत द्वारा निर्देशित अंतरिम व्यवस्था के संदर्भ में

रोजर मैथ्यू में निर्णय, न्यायाधिकरणों में नियुक्तियाँ/बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन v. भारत का संघ

अपीलीय न्यायाधिकरणों को "वित्त विधेयक, 2017 के अधिनियमन से पहले संबंधित कानूनों के संदर्भ में" होना था। धारा 184 के माध्यम से लाए गए संशोधन, अधिकतम के संदर्भ में। जिस आयु तक कोई सदस्य या अध्यक्ष किसी न्यायाधिकरण में पद धारण कर सकता है, वह बोर्ड के मामले में आवेदन नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2017 के नियमों में अध्यक्षों के कार्यकाल की सीमाएं तय की गई थीं और

बोर्ड के अध्यक्ष सहित न्यायाधिकरणों के सदस्य। उन नियमों के संदर्भ में, (यानी, 2017 के नियम) वर्तमान पदधारी का कार्यकाल 21.09.2019 पर समाप्त हुआ। जैसा कि पहले देखा गया था, नियमों को अंततः केवल 13.11.2019 पर ही निरस्त कर दिया गया था। उस समय, एकमात्र प्रचलित आदेश, जिसमें विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए कार्यकाल और आयु सीमा के संबंध में यथास्थिति का निर्देश दिया गया था, कुद्रत संधू में अंतरिम आदेश और स्पष्टीकरण थे, दिनांक 09.02.2018; 20.03.2018; 16.07.2018 और 21.08.2018। इनमें कहा गया था कि ऐसे सदस्यों या अध्यक्षों का अधिकतम कार्यकाल वित्त अधिनियम, 2017 के लागू होने से पहले मूल अधिनियमों में निर्धारित किया गया होगा, या अध्यक्षों के मामले में अधिकतम 3 साल के लिए व्यक्त किया गया था। अब तक की अवधि समाप्त हो चुकी थी।

जैसा कि आवेदक का संबंध है, 21.09.2019 पर। [पैरा 22] [814-एफ-एच; 815-ए-सी] 3. आवेदक द्वारा आग्रह किया गया एक अन्य तर्क यह था कि वित्त अधिनियम, 2017 ने टी. एम. अधिनियम की धारा 89 ए को शामिल किया था।

पूर्व-मौजूदा आयु और कार्यकाल सीमाएँ (मौजूदा कार्यकाल और आयु सीमाएँ टी. एम. अधिनियम की धारा 86 में इंगित की गई हैं)। हालांकि, वित्त अधिनियम केवल संभावित अधिकतम आयु निर्धारित करता है। सीमाएँ और कार्यकाल सीमाएँ। अध्यक्षों के मामले में, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सत्तर वर्ष (दूसरे के आधार पर) थी।

धारा 184 का परंतुक [1])। हालाँकि, धारा 184 (1) के पहले परंतुक के आधार पर, सदस्यों या अध्यक्षों की नियुक्ति "केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए की जा सकती है, लेकिन जिस तारीख को वे अपना पद संभालते हैं, उससे पांच साल से अधिक नहीं"। इस प्रकार, कार्यकाल की बाहरी सीमा पाँच [2021] 1 एस. सी. आर. थी।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2020 के नियमों में भी अधिकतम कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था, बल्कि कार्यकाल को चार साल तक सीमित कर दिया गया था। इस मामले के तथ्यों में, भले ही इसे लागू किया जाना था-यह मानते हुए कि ऐसा पाठ्यक्रम उपलब्ध है, चार साल की अवधि भी 21.09.2020 पर समाप्त हुई। [पैरा 23] [815-डी-एच; 816-ए-बी] 4. आवेदक की यह दलील कि बोर्ड न्यायिक सदस्य के बिना काम नहीं कर सकता, बेमानी है। टी. एम. अधिनियम की धारा 84 (2) में कोई संदेह नहीं है कि बोर्ड की एक पीठ में एक न्यायिक और एक तकनीकी सदस्य होगा। हालाँकि, यह टी. एम. अधिनियम के "अन्य प्रावधानों के अधीन" है। धारा 84 (3) एक अबाधित खंड के साथ शुरू होती है और धारा द्वारा निर्धारित की जाती है।

84 (3) (क) कि एक अध्यक्ष, "न्यायिक सदस्य या उस पीठ के तकनीकी सदस्य के कार्यों का निर्वहन करने के अलावा, जिसमें वह नियुक्त किया जाता है, न्यायिक के कार्यों का निर्वहन कर सकता है।

सदस्य या, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य पीठ का तकनीकी सदस्य। इस प्रकार, किसी सदस्य की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष यदि अवसर आता है तो तकनीकी या न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है। धारा 87 एक उपाध्यक्ष को, या जैसा भी मामला हो, बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य को उस पद की रिक्ति की स्थिति में, या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है।

पद पर कार्य करने में पदधारी की अक्षमता। इसके अलावा, महत्वपूर्ण रूप से, धारा 85 अन्य बातों के साथ-साथ अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के लिए योग्यता निर्धारित करती है। प्रासंगिक

इस धारा के प्रावधानों से पता चलता है कि एक तकनीकी सदस्य को नियमित अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि वह "कम से कम दो साल तक उपाध्यक्ष का पद धारण कर चुका हो"। वास्तव में, पांच मौजूदा तकनीकी सदस्य सभी उनके पास कानूनी योग्यताएँ हैं (उनमें से तीन के पास कानून में परास्नातक है, जिसमें एक के पास डॉक्टरेट की योग्यता भी है)।

बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए चार अंतर्राष्ट्रीय संगठन v. भारत का संघ

ये निवर्तमान सदस्य बौद्धिक संपदा (ट्रेडमार्क) के विशेष क्षेत्रों में वकालत कर रहे थे और

कॉपीराइट) और एक तकनीकी सदस्य (पेटेंट) को पेटेंट कार्यालय में अनुभव था। इन सदस्यों के पास व्यावहारिक कानूनी अधिकार थे।

दस से पंद्रह वर्ष का अनुभव। यह तथ्य कि उन्हें तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था, इस तथ्य को अस्पष्ट नहीं कर सकता कि

वे कानूनी रूप से प्रशिक्षित और योग्य हैं। इसलिए, यह तर्क कि तकनीकी सदस्य, अभी तक बोर्ड में अपनी स्थिति में, अध्यक्ष के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं, अस्थिर है। [पैरा 25] [816-एफ-एच; 817-ए-डी; 818-ए-बी]

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, (2020) 6 एससीसी

1 [2019] 16 एस. सी. आर. 1 का अनुसरण किया गया।

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ (2020) एससीसी

ऑनलाइन एससी 962; कुद्रत संधू बनाम भारत संघ 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन 1335; कुदरत संधू बनाम भारत संघ

2018 (18) एस. सी. सी. 796 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 16 एससीआर 1

पै

रा 3

पीछा किया।

2018 (18) एस. सी. सी. 796

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः 2020 का एम. ए. सं. 2219

2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1431

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., सुखबीर सिंह, ए. एस. जी., A.S.Chandhiok, सिद्धार्थ

लूथरा, आर. बालासुब्रमण्यम, सीनियर एड. , हेमंत सिंह, सुश्री ममता आर. झा, वसीम शुएब अहमद, संभव जैन, सुश्री सिमरान कोहली, रितेश कुमार, आयुष कौशिक, सुश्री अंकिता तिवारी, लक्ष्य मेहता, मोहित डी. राम, मोहम्मद सादिक टी. ए., अब्राहम मैथ्यूज, सुश्री अनु के. जॉय, अलीम अनवर, मोहित डी. राम, सुश्री श्रद्धा देशमुख, सुश्री चिनमयी चंद्र, श्याम गोपाल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. यह निर्णय एक आवेदन का निपटारा करेगा जिसके द्वारा निर्देश दिए जाएँगे।

मांग की जाती है कि जब तक बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (जिसे इसके बाद "बोर्ड" या "आई. पी. ए. बी". के रूप में संदर्भित किया जाता है) का एक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाता है, [2021] 1 एस. सी. आर.

पदधारी (जिसका कार्यकाल इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों द्वारा 31.12.2020 तक बढ़ाया गया था) को अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जारी रखना चाहिए।

2. आवेदक (इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ

बौद्धिक संपदा (इंडिया ग्रुप) ने एक रिट याचिका (डब्ल्यू. पी. (सी) 1431/2019) को प्राथमिकता दी थी, जिसे इस अदालत ने 27 नवंबर 2020 को मद्रास बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले में अन्य याचिकाओं और आवेदनों के एक समूह के साथ एक फैसले द्वारा निपटाया था।

भारत '। आवेदक बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग करते हुए कहता है कि उनकी नियुक्ति ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 (इसके बाद "टी. एम. अधिनियम") की धारा 89 ए के तहत की गई थी। आवेदक आग्रह करता है कि वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184, अध्यक्ष और बोर्ड सहित विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की शर्तों को निर्धारित करती है। वित्त अधिनियम की धारा 161 ने टी. एम. अधिनियम में धारा 89 ए को जोड़ा-जो यह निर्धारित करता है कि वित्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के बाद बोर्ड में नियुक्तियों का कार्यकाल उक्त वित्त अधिनियम की धारा 184 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। आयु सीमा निर्धारित करने वाली बाहरी सीमा धारा 184 के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष की आयु 70 वर्ष है।

मूल अधिनियम के तहत अध्यक्ष के कार्यकाल की बाहरी सीमा 70 वर्ष है, यानी टी. एम. अधिनियम, उस अधिनियम की धारा 86 के तहत 65 वर्ष की आयु अब लागू नहीं होती है। 4. विद्वान वकील टी. एम. अधिनियम की धारा 86 और धारा 89 का विरोध करते हैं और तर्क देते हैं कि हालांकि एक ओर धारा 86 बाहरी आयु सीमा (अध्यक्ष के कार्यकाल के लिए) को 65 वर्ष के रूप में निर्धारित करती है, जो धारा 89 ए के प्रावधानों द्वारा वहन की जाती है, जिसमें कहा गया है कि अब तक लागू नियम और शर्तें ऐसी नहीं होंगी और सेवा की शर्तों और नियुक्ति की अवधि के मामलों में,

वित्त अधिनियम की धारा 184 लागू होगी। यह वरिष्ठ द्वारा तर्क दिया जाता है

1 1 (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 962। 2 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, (2020) 6 एससीसी 1.

की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन

बौद्धिक संपदा v. भारत संघ [एस. रवींद्रभट, जे.]

तार्किक रूप से मद्रास बार एसोसिएशन (ऊपर) के फैसले से प्रवाहित होता है। इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है, क्योंकि कानून में, बाहरी सीमा को अब 70 साल तक बढ़ा दिया गया है। इस अदालत का ध्यान इस अदालत के 27 नवंबर 2020 के फैसले के पैरा 53 (ix) की ओर भी आकर्षित किया गया है। 5. विद्वान वकील ने उक्त निर्णय पर भरोसा किया। यह तर्क दिया गया था कि उस मामले के लंबित रहने के दौरान इस अदालत द्वारा दिए गए आदेश, जब तक

अंतिम निर्णय, अर्थात दिनांक 27 नवंबर, 2020 ने सभी निवर्तमान न्यायाधिकरण सदस्यों और उनके अध्यक्षों के कार्यकाल को संरक्षित किया। विशिष्ट।

16 सितंबर 2020 के आदेश पर निर्भरता रखी गई थी, जो

सभी न्यायाधिकरणों के सभी मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। आवेदक ने यह भी आग्रह किया कि यह आवश्यक है कि निरंतरता हो और बोर्ड के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, यह बिल्कुल आवश्यक है कि इसका नेतृत्व एक उचित रूप से योग्य अध्यक्ष करे।

6. आवेदक के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील विशेष रूप से निर्भर करता है

टी. एम. अधिनियम की धारा 84 (2) और आग्रह करती है कि न्यायिक सदस्य के बिना कोई पीठ नहीं हो सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस समय बोर्ड का कोई भी सदस्य न्यायिक नियुक्त नहीं है, बल्कि तकनीकी सदस्य हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोर्ड में एक उपाध्यक्ष भी नहीं है, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि मांगे गए स्पष्टीकरण और निर्देश दिए जाने चाहिए।

7. आवेदन का विरोध कुछ तीसरे पक्षों की ओर से किया गया था जो आग्रह करते हैं कि इस अदालत को वह राहत नहीं देनी चाहिए जो आवेदक को मिलनी चाहिए।

खोजते हैं। इस संबंध में, यह इंगित किया गया है कि पद के लिए वर्तमान पदधारी की नियुक्ति के क्रम के संदर्भ में पद का कार्यकाल

बोर्ड के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि वह जिस कार्यकाल के लिए बोर्ड में काम करना जारी रख सकते हैं, वह 21 सितंबर 2019 तक था। इस संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि मूल नियुक्ति तब की गई थी जब बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष एक अर्ध-न्यायिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में एक अन्य पद पर थे। नियुक्ति का क्रम, मूल रूप से [2021] 1 एस. सी. आर.

8. तीसरे पक्ष के विरोधियों ने भी धारा 86 और 89 ए की व्याख्या का विरोध किया। यह तर्क दिया गया कि परिवर्तन लाया गया धारा 89 ए द्वारा केवल यह इंगित करना था कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल (यानी 2017 के वित्त अधिनियम के अधिनियमन और लागू होने के बाद) वित्त अधिनियम की धारा 184 के अनुसार होगा। इस संदर्भ में यह आग्रह किया जाता है कि धारा 184 वास्तव में किसी भी अवधि का निर्धारण या संकेत नहीं करती है -

नियुक्ति या कार्यकाल, सिवाय कार्यकाल की बाहरी सीमाओं की गणना के

और न्यायाधिकरणों के सदस्यों या अध्यक्षों के लिए पद धारण करने की अधिकतम आयु। यह कानून इस मामले को उन नियमों पर छोड़ता है जिन्हें उक्त वित्त अधिनियम के तहत बनाया जाना था। यह दूसरे शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है कि, अधिनियम अपने आप में कोई शर्त निर्धारित नहीं करता है, बल्कि बाहरी सीमाओं को इंगित करता है। चूंकि प्रत्येक न्यायाधिकरण के संबंध में कार्यालय के सांकेतिक कार्यकाल सहित सेवा की सभी शर्तों को नियमों द्वारा निर्धारित किया जाना था, भले ही एक पल के लिए, आवेदक की दलीलों को इस अर्थ के रूप में समझा जाना था कि पदधारी को पहले 2017 के पुराने नियमों के तहत नियुक्त किया गया था, फिर भी उनका कार्यकाल सितंबर 2019 में समाप्त हुआ। यह रोजर मैथ्यू में निर्णय दिए जाने से पहले था। रोजर मैथ्यू के मामले में इस अदालत ने विशेष रूप से कहा कि चूंकि 2017 में बनाए गए तत्कालीन मौजूदा नियमों को असंवैधानिक माना गया था, इसलिए मूल अधिनियम के संदर्भ में कार्यालय में बने रहने की एक गुंजाइश लागू थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

बोर्ड के वर्तमान पदधारी के संदर्भ में, कार्यालय का कार्यकाल स्पष्ट रूप से बाहरी सीमा के तहत नहीं बढ़ाया जा सकता था

मूल अधिनियम 65 वर्ष का था।

प्रासंगिक प्रावधान

9. वित्त अधिनियम के भाग XIV के प्रावधानों के आधार पर

2017 , 25 (पँचिश) केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन किया गया ताकि, निर्धारित तिथि से, सबसे पहले, उन न्यायाधिकरणों के सदस्यों की सेवा के नियमों और शर्तों से संबंधित प्रावधानों को केंद्र सरकार को वित्त अधिनियम के तहत नियमों के साथ निर्दिष्ट करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों के साथ प्रतिस्थापित किया जाए। दूसरा, विभिन्न विधानों (नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट) के तहत स्थापित आठ मौजूदा न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया गया और उनके संबंधित क्षेत्राधिकार और शक्तियों को सात में शामिल किया गया।

बौद्धिक संपदा v. भारत संघ [एस. रवींद्र भाट, जे.]

मौजूदा न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरणों की संख्या को 26 से घटाकर 19 करना। तीसरा, वित्त अधिनियम की धारा 184 के तहत केंद्र सरकार ने पात्रता को स्पष्ट करने के लिए प्रत्यायोजित कानून (नियम) बनाने के लिए अधिकृत

शेष 19 न्यायाधिकरणों (आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट) के लिए मानदंड, चयन प्रक्रिया, निष्कासन, वेतन और भत्ते, कार्यकाल और सेवा के अन्य नियम और शर्तें। धारा 184 और न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरणों की संवैधानिक वैधता

(योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017 (इसके बाद "2017 नियम") पर रिट याचिकाओं और अपीलों के एक समूह में विचार किया गया था, जिसका निर्णय रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) में दिया गया था। पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में धारा 184 को बरकरार रखा गया। हालाँकि, 2017 के नियमों को संवैधानिक योजना के विपरीत माना गया था जैसा कि संविधान पीठों के कई पिछले फैसलों द्वारा व्याख्या की गई थी। उस फैसले के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने 2020 में नए नियम बनाए (इसके बाद "2020 नियम") जिन पर मद्रास बार एसोसिएशन मामले में फिर से सवाल उठाए गए। मद्रास बार एसोसिएशन का मामला (रोजर मैथ्यू का) एक सीक्वल है, जिसके द्वारा इस अदालत ने 2020 के नियमों की वैधता पर विचार किया और फैसला सुनाया, और कई को पढ़ा।

उनमें से।

10. वित्त अधिनियम, 2017 के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

" धारा 161। ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 में

(क) "अध्यक्ष" या "उपाध्यक्ष" शब्द के लिए, जहां भी यह आता है, "अध्यक्ष" या "उपाध्यक्ष" शब्द।

प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) धारा 83 में, "इस अधिनियम के तहत" शब्दों के बाद, "और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत" शब्द और आंकड़े होंगे -

सम्मिलित किया गया;

(ग) धारा 89 के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी -

अर्थात्:

" 89 ए. इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद, योग्यताएँ,

नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और भत्ते,

वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय VI के भाग XIV के प्रारंभ के बाद नियुक्त अपीलीय बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का इस्तीफा, निष्कासन और सेवा के अन्य नियम और शर्तें [2021] 1 एस. सी. आर. होंगी।

उस अधिनियम की धारा 184 के प्रावधानों द्वारा शासितः प्रदान किया गया

कि वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय VI के भाग XIV के प्रारंभ से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे, जैसे कि वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के प्रावधान।

लागू नहीं हुआ था। " .

11. वित्त अधिनियम, 2017 के भाग एस में धारा 183 और 184 इस प्रकार हैं:

" एस.-अध्यक्ष की सेवा की शर्तें

न्यायाधिकरणों के सदस्य, अपील

न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण

183. आठवीं अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट अधिनियमों के प्रावधानों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, नियत दिन को और उससे, धारा के प्रावधान

184 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पर लागू होगा,

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,

पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण के सदस्य, अपीलीय

न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणः बशर्ते कि धारा 184 के प्रावधान लागू नहीं होंगे

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या

मामला हो सकता है, ऐसा पद धारण करने वाला सदस्य नियत दिन से ठीक पहले। योग्यताएँ, शर्तें

और अध्यक्ष और सदस्य की सेवा की शर्तें।

अध्यक्ष की योग्यता, सेवा के नियम और शर्तें,

न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य। 184. (1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा योग्यता, नियुक्ति, पद की अवधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, निष्कासन और अन्य प्रावधानों के लिए नियम बना सकती है।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की सेवा के नियम और शर्तें

अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सदस्य,

अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, अन्य प्राधिकरण

जैसा कि आठवीं अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट किया गया है:

की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन

वैधानिक संपत्ति v. भारत संघ [एस. रवींद्रभट, जे.]

बशर्ते कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी

या न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या अन्य के सदस्य

प्राधिकरण केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, लेकिन पांच से अधिक नहीं।

जिस तारीख को वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है और

पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगेः बशर्ते कि कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सदस्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट आयु प्राप्त करने के बाद इस तरह का पद नहीं संभालेगा जो इससे अधिक नहीं होगा।

(क) अध्यक्ष, अध्यक्ष या अध्यक्ष के मामले में,

सत्तर वर्ष की आयु;

(ख) उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या किसी अन्य सदस्य के मामले में,

साठ-सात वर्षः

(2) न तो वेतन और भत्ते और न ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की सेवा के अन्य नियम और शर्तें।

पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण के सदस्य, अपीलीय

न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, अन्य प्राधिकरण भिन्न हो सकते हैं।

उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए "

12. रोजर मैथ्यू में यह घोषणा करने के बाद कि 2017 के नियम दागदार थे, और उन्हें रद्द करने के बाद, केंद्रीय सरकार को नए नियम बनाने के निर्देश के साथ, इस अदालत ने निम्नलिखित निर्देश भी दिएः

" अंतरिम राहत

224. चूंकि न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017 को निरस्त कर दिया गया है और नए नियम बनाने के लिए बहुमत के फैसले के माध्यम से कई निर्देश जारी किए गए हैं, हम एक अंतरिम आदेश के रूप में, न्यायाधिकरण/अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरणों को नियुक्त करने का निर्देश देते हैं।

नियुक्ति के नियम और शर्तें वित्त विधेयक, 2017 के अधिनियमन से पहले संबंधित कानूनों के संदर्भ में होंगी। हालाँकि, भारत संघ को [2021] 1 एस. सी. आर. को स्वतंत्रता दी गई है।

नए सिरे से तैयार करने के बाद इस आदेश में संशोधन की मांग करें।

इसे वापस नहीं लिया जाएगा और जारी रखा जाएगा। ये होंगे सभी नए सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है।

13. बोर्ड का गठन टी. एम. अधिनियम की धारा 83 द्वारा किया गया है

उसके द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियाँ और अधिकार

नैक्टमेंट। धारा 84 बोर्ड की संरचना निर्धारित करती है, जो

एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और इतनी संख्या में

सदस्य, जैसा कि केंद्र सरकार उचित समझे और

इस अधिनियम के अन्य प्रावधान, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और

अपीलीय बोर्ड की अधिकारिता का प्रयोग पीठों द्वारा किया जा सकता है

"से।

14. धारा 84 (2) और (3) वर्तमान में कुछ प्रासंगिक हैं।

पाठ; वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

" (2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक पीठ

इसमें एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होता है।

और केंद्र सरकार जैसे स्थान पर बैठेगी,

पीठ का सदस्य या तकनीकी सदस्य जिसके लिए वह है नियुक्त, न्यायिक सदस्य के कार्यों का निर्वहन

या, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य तकनीकी सदस्य का

बेंच;

(ख) एक सदस्य को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर सकता है;

(ग) उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य को अधिकृत कर सकता है।

या कार्य निर्वहन के लिए एक पीठ में नियुक्त तकनीकी सदस्य

न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के कार्य भी

मामला चाहे जैसा भी हो, किसी अन्य पीठ का सदस्य।

15. धारा 86 और 87 निम्नानुसार हैं:

" 86. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल

अन्य सदस्य।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सुरक्षा के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन

वैधानिक संपत्ति v. भारत संघ [एस. रवींद्र भाट, जे.]

सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

जिस तारीख को वह अपने पद पर प्रवेश करता है या जब तक वह प्राप्त नहीं कर लेता,

(क) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामले में, साठ-पाँच वर्ष की आयु; और

(ख) एक सदस्य के मामले में, साठ-दो वर्ष की आयु,

जो भी पहले हो।

87. उपाध्यक्ष या वरिष्ठ-अधिकांश सदस्य 1 [अध्यक्ष] के रूप में कार्य करेंगे या कुछ मामलों में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।

परिस्थितियाँ

(1) के कार्यालय में किसी भी रिक्ति की स्थिति में

अध्यक्ष अपनी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारणों से, उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य उस तारीख तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि एक नया अध्यक्ष, उनके अनुसार नियुक्त नहीं किया जाता है।

ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के प्रावधान उनके कार्यालय में प्रवेश करते हैं।

(2) जब अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, तो उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन उस तारीख तक करेंगे जब तक कि अध्यक्ष अपना कर्तव्य फिर से शुरू नहीं करता है।

16. टी. एम. अधिनियम की धारा 89 ए इस प्रकार हैः

" 89 ए. सेवा की योग्यता, नियम और शर्तें

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और

सदस्य।

अधिनियमः बशर्ते कि [2021] 1 एस. सी. आर. के भाग 14 के प्रारंभ से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य।

वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) का अध्याय VI जारी रहेगा।

इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होना

उसके अधीन इस प्रकार किया गया मानो धारा 184 के उपबंध

वित्त अधिनियम, 2017 लागू नहीं हुआ था।

17. अध्यक्ष के पद पर वर्तमान पदधारी

बोर्ड को ज़ब्त संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीएफपी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। जिन नियमों और शर्तों के तहत उन्हें नियुक्त किया गया था, उन्हें रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है; हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि नियुक्ति

सितंबर 2016 के कुछ समय बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद छोड़ दिया था। आई. डी. 1 पर, उन्हें आई. पी. ए. बी. में अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था, यानी बोर्ड, तत्कालीन मौजूदा 2017 नियमों के संदर्भ में, तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। 20.07.2017 का उक्त क्रम नीचे निकाला गया है:

एफ. नं. पी.-24017/44/2017-आईपीआर-I

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

आईपीआरआई अनुभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011

आदेश

भारत के राष्ट्रपति न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति करते हैं।

मनमोहन सिंह, अध्यक्ष, अपीलीय न्यायाधिकरण

बौद्धिक संपदा में अध्यक्ष पद की संपत्ति

अपीलीय बोर्ड (आई. पी. ए. बी.), चेन्नई, वेतनमान में

न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरणों और अन्य में निर्धारित

अधिकारी (योग्यता, अनुभव और अन्य शर्तें)

सदस्यों की सेवा) नियम, 2017, तीन वर्षों के लिए

प्रभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी वर्ष

पोस्ट करें, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।

(

बी. एस. नायक)

सरकार के अवर सचिव। भारत का

दूरभा

षः

23061257 " की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज

बौद्धिक संपदा v. भारत संघ [एस. रवींद्रभट, जे.]

18. नियुक्ति का आदेश-बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में

केंद्र सरकार द्वारा 29.12.2017 पर संशोधन किया गया था। इस बाद के आदेश में कहा गया कि बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति का कार्यकाल 21.09.2019 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक था। 29.12.2017 का बाद का क्रम इस प्रकार हैः

" नहीं। पी-24017/44/2017-आईपीआर-I

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

(आईपीआर-स्थापना अनुभाग)

***

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011,

तिथि 29 दिसंबर, 2017

आदेश

इस विभाग के 20 तारीख के पहले के आदेश के स्थान पर जुलाई, 2017 में भारत के राष्ट्रपति ने यह कार्य सौंपा

अध्यक्ष, बौद्धिक पद का अतिरिक्त प्रभार

संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आई. पी. ए. बी.) से न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मनमोहन

(ए. टी. एफ. पी.) की तारीख से अपने वर्तमान कर्तव्यों के अलावा 21.09.2019 तक पद का प्रभार ग्रहण करना अर्थात तब तक जब तक वह

अध्यक्ष, ए. टी. एफ. पी. के पद पर कार्यकाल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो "।

(

बी. एस. नायक)

सरकार के अवर सचिव। भारत का

दूरभा

षः 23061257 "

19. पाँच न्यायाधीशों के संविधान द्वारा रोजर मैथ्यू में निर्णय

बेंच को 13.11.2019 पर वितरित किया गया था। उस फैसले पर फैसला सुनाया गया

2017 के नियमों की वैधता और उन्हें रद्द कर दिया। हालाँकि, 2017 के नियमों को असंवैधानिक घोषित किए जाने से पहले, बोर्ड के अध्यक्ष के पद के लिए पदधारी का कार्यकाल 21.09.2019 पर समाप्त हो गया था। यह न्यायालय याद करता है कि 2017 के नियमों के संचालन को उन्हें चुनौती देने वाली याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान निलंबित नहीं किया गया था (अर्थात।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रोजर मैथ्यू मामलों का समूह)। याचिकाओं के उक्त समूह के लंबित रहने के दौरान, इस अदालत को कई अंतरिम आदेश जारी करने का अवसर मिला। दिनांकित 20.03.2018 आदेश ने एक पिछले आदेश (दिनांकित 09.02.2018 (कुद्रत संधू बनाम में) को स्पष्ट किया। भारत संघ डब्ल्यू. पी. 279/2017) निम्नानुसार हैः

" (iii) सभी न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और न्यायिक/प्रशासनिक/विशेषज्ञ/तकनीकी सदस्यों का कार्यकाल पांच साल की अवधि या पुराने अधिनियमों और नियमों के तहत निर्धारित/निर्धारित अधिकतम आयु के लिए होगा।

20. 16.07.2018[3] पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में निम्नलिखित निर्देश

(आई. टी. ए. टी.) बनाए गएः

" इस मोड़ पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आई. टी. ए. टी.) के संबंध में कुछ भ्रम है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि आई. टी. ए. टी. के सदस्य के रूप में चुना गया व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक और अध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति,

65 वर्ष की आयु तक जारी रहेगा।

21. इसी याचिका में, अदालत को राष्ट्रपति और सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) के सदस्यों के संदर्भ में पिछले आदेशों को फिर से स्पष्ट करने का अवसर मिला था। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सदस्यों का कार्यकाल उनकी 62 वर्ष की आयु तक होगा और (सी. ई. एस. टी. ए. टी. के) अध्यक्ष के मामले में कार्यकाल की आयु सीमा 65 वर्ष होगी। 4

22. इन परिस्थितियों को देखते हुए, आवेदक की ओर से तर्क दिए गए कि निवर्तमान अध्यक्ष बने रहे

रोजर मैथ्यू द्वारा कानून की घोषणा को देखते हुए पद अवास्तविक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसे स्वीकार न करने का दूसरा कारण तर्क यह है कि यदि, एक पल के लिए यह माना जाना था कि रोजर में बहुमत के फैसले द्वारा निर्देशित अंतरिम व्यवस्था के संदर्भ में

मैथ्यू (ऊपर निकाले गए पैरा 224 में), न्यायाधिकरणों/अपीलीय न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां "वित्त विधेयक, 2017 के अधिनियमन से पहले संबंधित कानूनों के संदर्भ में" होनी थीं। धारा 184 के माध्यम से लाए गए संशोधन, अधिकतम आयु के संदर्भ में, जिस तक कोई भी सदस्य या अध्यक्ष किसी न्यायाधिकरण में पद धारण कर सकता है।

3 कुद्रत संधू बनाम भारत संघ 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन 1335 (एस. सी.) 4 इस आदेश को कुद्रत संधू बनाम भारत संघ 2018 (18) एस. सी. सी. 796 द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया के रूप में सूचित किया गया है।

बौद्धिक संपदा V. भारत संघ [एस. रवींद्रभट, जे.]

बोर्ड के मामले में लागू नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2017 के नियमों ने बोर्ड के अध्यक्ष सहित न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल की सीमा निर्धारित की थी। उन नियमों के संदर्भ में, (यानी, 2017 के नियम) वर्तमान पदधारी का कार्यकाल 21.09.2019 पर समाप्त हुआ। जैसा कि पहले देखा गया था, नियमों को अंततः केवल 13.11.2019 पर ही निरस्त कर दिया गया था। उस समय, एकमात्र प्रचलित आदेश, जिसमें विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए कार्यकाल और आयु सीमा के संबंध में यथास्थिति का निर्देश दिया गया था, कुद्रत संधू में अंतरिम आदेश और स्पष्टीकरण थे, दिनांक 09.02.2018; 20.03.2018; 16.07.2018 और 21.08.2018। इनमें कहा गया था कि ऐसे सदस्यों या अध्यक्षों का अधिकतम कार्यकाल वित्त अधिनियम, 2017 के लागू होने से पहले मूल अधिनियमों में निर्धारित किया गया होगा, या अधिकतम 3 साल के लिए व्यक्त किया गया था। अध्यक्षों। जहां तक आवेदक का संबंध है, अवधि 21.09.2019 पर समाप्त हो गई थी।

23. आवेदक द्वारा आग्रह किया गया एक अन्य तर्क यह था कि वित्त अधिनियम, 2017 ने टी. एम. अधिनियम की धारा 89 ए (पूर्व अधिनियम की धारा 161 द्वारा प्रस्तुत) को शामिल किया था, जिसमें कहा गया है कि पद का कार्यकाल और सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु उक्त वित्त अधिनियम की शर्तों द्वारा शासित होगी और इसके परिणामस्वरूप, पूर्व-मौजूदा कार्यकाल और आयु सीमाएं लागू नहीं होती थीं। निस्संदेह, धारा 89 ए का उद्देश्य पूर्व-विद्यमान आयु और कार्यकाल सीमाओं (मौजूदा कार्यकाल और आयु सीमाओं को टी. एम. अधिनियम की धारा 86 में इंगित किया गया है) को अधिक सहन करना या उनका स्थान लेना था। हालांकि, वित्त अधिनियम केवल संभावित अधिकतम आयु सीमा और कार्यकाल सीमा निर्धारित करता है। अध्यक्षों के मामले में, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सत्तर वर्ष (धारा के दूसरे परंतुक के आधार पर) थी।

184 [1]) . तथापि, धारा 184 (1) के पहले परंतुक के आधार पर, सदस्यों या अध्यक्षों को "इस प्रकार के कार्यकाल के लिए" नियुक्त किया जा सकता है -

कार्यालय "। इस प्रकार, कार्यकाल की बाहरी सीमा पाँच वर्ष थी। जैसा कि पहले देखा गया है, केंद्र सरकार ने बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल तय किया था। जब तक इस नियम को असंवैधानिक ठहराया गया, तब तक बोर्ड के अध्यक्ष के पदधारी पद का कार्यकाल 21.09.2019 पर समाप्त हो गया। रोजर मैथ्यू मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका। 5 धारा 1 द्वारा, कॉलम 5 ने बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया था और संकेत दिया था कि अध्यक्ष के कार्यकाल के लिए बाहरी सीमा 67 वर्ष होगी जबकि उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस मामले के तथ्यों पर स्वयं लागू किया गया है। इस संबंध में आवेदक की दलीलों का कोई लाभ नहीं है; मद्रास बार एसोसिएशन (ऊपर) में निर्णय के बाद ही कार्यकाल को पांच साल के लिए अनिवार्य किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि 2020 के नियमों में भी ऐसा नहीं था अधिकतम कार्यकाल निर्धारित करें; इसने कार्यकाल को चार साल तक सीमित कर दिया। इस मामले के तथ्यों में, भले ही इसे लागू किया जाना था-यह मानते हुए कि ऐसा पाठ्यक्रम उपलब्ध है, चार साल की अवधि भी 21.09.2020 पर समाप्त हुई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कार्यकाल और आयु सीमा में लाए गए परिवर्तन न केवल वित्त अधिनियम, 2017 की अनुसूची के माध्यम से थे, बल्कि इसके मूल प्रावधानों के माध्यम से भी थे-धारा 156 से 182.6 इन प्रावधानों ने 19 न्यायाधिकरणों (आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रतिस्पर्धा न्यायाधिकरण सहित) के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए कार्यकाल और आयु सीमा से संबंधित परिवर्तन किए।

भारतीय आयोग, सी. ई. एस. टी. ए. टी., रेलवे दावा न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, ऋण वसूली

अपीलीय न्यायाधिकरण, आई. पी. ए. बी.-अर्थात बोर्ड, इस मामले में, आदि)। टी. एम. अधिनियम की धारा 89 ए की तरह ये सभी प्रावधान संरेखित हैं।

सदस्यों और अध्यक्षों के लिए समान कार्यकाल सीमा और अधिकतम आयु को कानून बनाने का संसदीय इरादा। इसलिए, धारा 89 ए पूरे विधायी डिजाइन का केवल एक हिस्सा है। हालाँकि, इसका वर्तमान मामले की परिस्थितियों पर कोई असर नहीं पड़ता है।

24. इस अदालत को जिस अंतिम तर्क से निपटना है, वह आवेदक की स्थिति है कि बोर्ड न्यायिक प्रक्रिया के बिना काम नहीं कर सकता है।

सदस्य, और यह कि वर्तमान में, केवल वर्तमान अध्यक्ष एक न्यायिक सदस्य है, और यदि उसका कार्यकाल न्यायिक आदेश द्वारा नहीं बढ़ाया जाता है, तो बोर्ड कार्य करने में असमर्थ होगा। इस तर्क का सहायक यह है कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि मौजूदा सदस्यों में से कोई भी न्यायिक सदस्य नहीं है, लेकिन तकनीकी सदस्य हैं।

25. इस न्यायालय की राय में आवेदक की दलीलें बेमानी हैं। टी. एम. अधिनियम की धारा 84 (2) में कोई संदेह नहीं है कि बोर्ड की एक पीठ में एक न्यायिक और एक तकनीकी सदस्य होगा। हालाँकि, यह टी. एम. अधिनियम के "अन्य प्रावधानों के अधीन" है। धारा 84 (3) एक अबाधित खंड के साथ शुरू होती है और धारा 84 (3) (ए) द्वारा निर्धारित करती है कि एक अध्यक्ष "न्यायिक सदस्य या पीठ के तकनीकी सदस्य के कार्यों का निर्वहन करने के अलावा" कर सकता है।

' न्यायाधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के विलय और उनकी शर्तों के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमों को प्रमाणित करने के लिए भाग XIV संशोधन

अध्यक्षों, सदस्यों, ई. टी. सी. की सेवा।

की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन

बौद्धिक संपदा v. भारत संघ [एस. रवींद्र भाट, जे.]

जिसे वह नियुक्त किया जाता है, न्यायिक के कार्यों का निर्वहन करता है सदस्य या, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य पीठ का तकनीकी सदस्य। इस प्रकार, किसी सदस्य की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष, यदि

इस प्रकार का अवसर आता है तो तकनीकी या न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करें। धारा 87 एक उपाध्यक्ष, या जैसा भी मामला हो, बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य को उस पद पर रिक्ति की स्थिति में, या पदधारी के पद पर कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण रूप से, धारा 85 अन्य बातों के साथ-साथ अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के लिए योग्यता निर्धारित करती है। इस धारा (नीचे निकाले गए) के प्रासंगिक प्रावधानों से पता चलता है कि किसी तकनीकी सदस्य को नियमित अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि

उसने कम से कम दो साल तक उपाध्यक्ष का पद संभाला हो। वास्तव में, पांच मौजूदा तकनीकी सदस्य सभी के पास है

कानूनी योग्यता (उनमें से तीन ने कानून में परास्नातक किया है, जिसमें एक पोस्ट-डॉक्टरेट योग्यता भी शामिल है)। इनमें से चार मौजूदा सदस्य बौद्धिक संपदा के विशेष क्षेत्रों में वकालत कर रहे थे।

(ट्रेडमार्क, और कॉपीराइट) और एक तकनीकी सदस्य (पेटेंट) को पेटेंट कार्यालय में अनुभव था। इन सदस्यों के पास व्यावहारिक कानूनी अधिकार थे। दस से पंद्रह वर्ष का अनुभव। तथ्य यह है कि उन्हें नियुक्त किया गया था

785. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ।

(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या रहा हो; या (ख) कम से कम दो वर्षों तक 3 [उपाध्यक्ष] का पद धारण किया हो।

(2) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह (क) कम से कम दो साल तक न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य का पद धारण न कर ले; या (बी) भारतीय कानूनी सेवा का सदस्य रहा हो और कम से कम पांच साल तक उस सेवा के ग्रेड I या किसी उच्च पद पर रहा हो।

(3) एक व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह-(ए) भारतीय कानूनी सेवा का सदस्य रहा हो और कम से कम तीन साल तक उस सेवा के ग्रेड I में पद पर रहा हो; या

(ख) कम से कम दस वर्षों तक सिविल न्यायिक पद धारण किया हो। (4) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने (क) इस अधिनियम के तहत या व्यापार और व्यापार चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) के तहत कम से कम दस वर्षों के लिए किसी न्यायाधिकरण के कार्यों का प्रयोग नहीं किया है, या दोनों, और कम से कम पांच वर्षों के लिए संयुक्त पंजीयक के पद से कम के पद पर नहीं रहा है; या

(बी) कम से कम दस वर्षों से, व्यापार चिह्न कानून में एक सिद्ध विशेष अनुभव का अधिवक्ता रहा है।

8 ये विवरण बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईपैब। गव. तकनीकी सदस्यों के पृष्ठ में। पीएचपी? आई. डी. = 2 (23 पर पहुँचा जा सकता हैः 35 04.02.2021 पर घंटे)

तकनीकी सदस्य इस तथ्य को छिपा नहीं सकते कि वे कानूनी रूप से प्रशिक्षित और योग्य हैं। इसलिए, यह तर्क कि तकनीकी सदस्य, अब तक बोर्ड में अपनी स्थिति में, एक के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं

अध्यक्ष, अस्थिर है।

26. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि

बी आवेदक को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। तदनुसार आवेदन खारिज कर दिया जाता है; हालाँकि, लागत पर कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान